1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 91/2015

सुभिता पुत्री कालुराम पत्नी अमर सिंह, जाति जाट निवासी फिरास का बास तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

—अपीलार्थी

—बनाम—

1. चानादेवी पत्नी कालुराम जाति जाट निवासी कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
2. रामकुमार पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
3. गोपीराम पुत्र कालुराम जाति जाट निवासी कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
4. चुन्नी उर्फ बिमला पुत्री कालुराम पत्नी प्रेमसिंह, जाति जाट निवासी फिरास का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
5. मंजु पुत्री कालुराम पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी रावतसर कुंजला बास तहसील राजगढ जिला चुरू।
6. जयसिंह पुत्र लेखुराम जाति जाट निवासी कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
7. श्रीचंद पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
8. मेतीराम पुत्र नोरंगराम जाति जाट निवासी कालियासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनूं।
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
10. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर जिला झुंझुनू।

— रेस्पोडेन्टस

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार मलसीसर
आदेश दिनांक 12.02.2013 विभाजन आदेश द्वारा अनुबंध बाबत
भूमि खसरा नंबर 56,57, 59,115/308,121 वाके ग्राम कालियासर

उपस्थितिः—

1 .श्री जयप्रकाश पूनियां, एडवोकेट ——— ——— — ———अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट———————————रेस्पोडेन्ट की ओर से।

—निर्णय— दिनांक 23.12.2019

उक्त अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 12.02.2013 विभाजन आदेश द्वारा अनुबंध बाबत भूमि खसरा नंबर 56, 57, 59, 115/308,121 वाके ग्राम कालियासर न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि— अपीलार्थीया का पिता कालुराम था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कालुराम की सह—खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नंबर 56 रकबा 1.12

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

हैक्टर खसरा नंबर 57 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नंबर 59 रकबा 1.50 हैक्टर खसरा नंबर 115 रकबा 241 हैक्टर खसरा नंबर 115/308 खसरा नंबर 121 रकबा 10 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 7.26 हैक्टर भूमि ग्राम कालियासर में स्थित है। ग्राम पंचायत कालियासर में दिनांक 12.02.2013 को राजस्व केम्प हुआ जिसमें अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट नंबर 4 व 5 कालुराम की पुत्रियां हैं। इस तथ्य को छुपाकर रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 लगायत 3 व 6 लगायत 8 ने अनुबंध द्वारा विभाजन करवा लिया जबकि अपीलार्थीया व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 कालुराम की पुत्रियां है जो कालुराम के 1/3 हिस्से में अपीलार्थीया व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 प्रत्येक 1/6 हिस्से की हिस्सेदार हैं तथा व्यक्तिगत रूप से 1/18 सम्पूर्ण भूमि में अपीलार्थी व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 का बनता है। रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 3 व 6 लगायत 8 ने अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 को अपने पैत्रिक हिस्से से वंचित करने के लिये तथ्य छुपाते हुये उक्त अनुबंध द्वारा विभाजन करवाया है जो काबिले निरस्त है। अपीलार्थी को उक्त आदेश के समय सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, इसलिए आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। उक्त आदेश दिनांक 12.2.2013 से अपीलार्थीया गंभीर रूप से प्रभावित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 12.02.2013 अनुबंध द्वारा विभाजन निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- अपीलार्थीया का पिता कालुराम था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कालुराम की सह-खातेदारी की भूमि वर्तमान खसरा नंबर 56 रकबा 1.12 हैक्टर खसरा नंबर 57 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नंबर 59 रकबा 1.50 हैक्टर खसरा नंबर 115 रकबा 241 हैक्टर खसरा नंबर 115/308 खसरा नंबर 121 रकबा 10 हैक्टर कुल खसरा 6 कुल रकबा 7.26 हैक्टर भूमि ग्राम कालियासर में स्थित है। ग्राम पंचायत कालियासर में दिनांक 12.02.2013 को राजस्व केम्प हुआ जिसमें अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट नंबर 4 व 5 कालुराम की पुत्रियां हैं। इस तथ्य को छुपाकर रेस्पोडेंन्ट नंबर 1 लगायत 3 व 6 लगायत 8 ने अनुबंध द्वारा विभाजन करवा लिया जबकि अपीलार्थीया व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 कालुराम की पुत्रियां है जो कालुराम के 1/3 हिस्से में अपीलार्थीया व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 प्रत्येक 1/6 हिस्से की हिस्सेदार हैं तथा व्यक्तिगत रूप से 1/18 सम्पूर्ण भूमि में अपीलार्थी व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 का बनता है। रेस्पोडेंट नंबर 1 लगायत 3 व 6 लगायत 8 ने अपीलार्थीगण व रेस्पोडेंट नंबर 4 व 5 को अपने पैत्रिक हिस्से से वंचित करने के लिये तथ्य छुपाते हुये उक्त अनुबंध द्वारा विभाजन करवाया है जो काबिले

18
अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निरस्त है। अपीलार्थी को उक्त आदेश के समय सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, इसलिए आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है। उक्त आदेश दिनांक 12.2.2013 से अपीलार्थीया गंभीर रूप से प्रभावित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश अदालत मातहत दिनांक 12.02.2013 अनुबंध द्वारा विभाजन निरस्त करने का आदेश फरमावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्शित खातेदारों का उनकी आपसी सहमति से खाता विभाजन किया है । अपीलार्थीया खातेदार नहीं है। विभाजन खातेदारों के मध्य ही होता है। पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर के विभाजन आदेश का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा खातेदारों की सहमति से उनके हिस्से के अनुसार विभाजन किया गया है। जहां तक अपीलार्थीया व रेस्पोडेंन्ट नंबर 4 व 5 के अपने पैत्रिक सम्पति में हक हिस्से का प्रश्न है, तो उनको अपने हक हिस्से के लिए सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। अपीलार्थीया व रेस्पोडेन्ट नंबर 4 व 5 विभाजन के समय विवादित भूमि की खातेदार नहीं थी। ऐसी स्थिति में तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 12.02.2013 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मलसीसर द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 12.02.2013 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की मिसल आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Prasad Agarwal
Date: 2020.01.03 11:56:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: